श्री घनश्याम ठाकुर, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-1/213/498 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड में नेपाल से निकलने वाली धाउस (धौंस) नदी एवं बछराजा नदी में हो रहे भयंकर कटाव के कारण मधवापुर, रामपुर सहित दर्जनों गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और स्थानीय जनता अत्यंत भयभीत एवं आक्रोशित है; (ख) क्या यह सही है कि हाल ही में मधवापुर में नदी के तेज कटाव के कारण एक बच्चे (मो0 तनवीर, पिता मो0 जफीर) की दुखद मृत्यु हो चुकी है और नदियों में गाद जमा होने के कारण बाढ़ एवं कटाव की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है; (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धाउस एवं बछराजा नदी में हो रहे इस तीव्र कटाव की तत्काल रोकथाम हेतु ठोस उपाय करने, नदियों से गाद की सफाई कराने तथा मृतक के परिवार को अविलम्ब उचित मुआवजा देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अधवारा समूह से धौस नदी एवं बछराजा नदी प्रवाहित होती है, जो नेपाल से निकलती है। प्रश्नगत प्रभाग में धौस नदी में मनरेगा द्वारा लघु बांध निर्मित है। इस नदी में कटाव की वृहद् समस्या नहीं है। धौस नदी में जलश्राव बढ़ने पर कुछ स्थलों पर आंशिक क्षरण हुआ था, जिसे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित कर लिया गया है। वर्तमान में दोनों नदियों में गाद की समस्या नही है, पानी का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो रहा है। नदी में कटाव के कारण बच्चे की मृत्यु के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न है, इस विभाग से संबंधित नहीं है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(सम0)–06–28 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 213वें सत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–01 / 213 / 498 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(सम0)–06–28 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(सम0)–06–28 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(सम0)–06–28 / 2026– 402 पटना, दिनांक– 09/09/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

श्री डॉ0 अजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1/213/13 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड के कुनौली पंचायत में स्थित सीमा सुरक्षा बाँध क्षतिग्रस्त है; (ख) क्या यह सही है कि बरसात में कुनौली, कमलपुर और गमास पंचायत पर बाढ़ का खतरा बना रहता है; (ग) क्या यह सही है कि नेपाल प्रक्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में कुनौली में प्रवेश करने वाली नदियों के मुहाने पर सिल्टेशन के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलप्लावित होती है; (घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु अपेक्षित कदम उठाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत सीमा सुरक्षा बाँध सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड के कुनौली पंचायत (भारतीय प्रभाग) में स्थित न होकर भारत नेपाल सीमा के समीप नो मेन्स लैंड में एक तटबंधनुमा संरचना है । जीता धार पश्चिमी कोशी तटबंध के निकट भारत–नेपाल सीमा पर नो मेन्स लैंड में लगभग दो कि०मी० की लम्बाई में प्रवाहित होते हुए खाण्डो नदी में मिलती है, जिसके पश्चात् दोनों धाराएँ संयुक्त रूप से भारतीय प्रभाग में प्रवेश करती हैं। उक्त लम्बाई में जीता धार के एक ओर महेन्द्र राजमार्ग है एवं दूसरी ओर तटबंधनुमा संरचना है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा सीमा सुरक्षा बाँध कहा जाता है । नेपाल क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली खाण्डो नदी एवं जीता धार में सिल्टेशन एवं प्राकृतिक जल प्रवाह में अवरोध के कारण जल निकासी प्रभावित होती है, जिससे कुनौली, कमलपुर और डगमारा पंचायत पर बाढ़ का खतरा बना रहता है एवं आसपास के क्षेत्रों एवं कृषि योग्य भूमि में जलप्लावन की समस्या उत्पन्न होती है। अंतरराष्ट्रीय मामला होने के दृष्टिगत प्रश्नगत समस्या के समाधान हेतु भारत–नेपाल की संयुक्त बाढ़ एवं जलप्लावन प्रबंधन समिति (जे०सी०आई०एफ०एम०) के सब–ग्रुप द्वारा मार्च, 2025 में दिए गए सुझावों के अनुपालन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसे अगले माह में निर्धारित जे०सी०आई०एफ०एम० की पंद्रहवीं बैठक में उपस्थापित किया जाना है । संयुक्त समिति के उक्त बैठक के निर्णयानुसार परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(वी0)–06–26 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 213वें सत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–01 / 213 / 13 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(वी0)–06–26 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(वी0)–06–26 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(वी0)–06–26 / 2026– 4020 पटना, दिनांक–09/09/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.9.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
08.9.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

डॉ0 उर्मिला ठाकुर, माननीया स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-1/213/574 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के लगभग आधे प्रखंडों से गंगा नदी गुजरती है जिसमें बलिया, साहेबपुर कमाल, मटिहानी, शाम्हों, बरौनी, तेघरा और बछवाड़ा शामिल हैं, इन क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों का हर साल बाढ़ और कटाव से खेती बर्बाद और पशुपालन समाप्त हो जाने से बेरोजगारी बढ़ रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत प्रश्नगत प्रखंड नदी पर अवस्थित तटबंध के दोनों तरफ हैं। बाढ़ अवधि में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने एवं बाढ़ अवधि के उपरान्त जलस्तर घटने के क्रम में नदी तट एवं दियारा क्षेत्र में कहीं-कहीं कटाव होता है।
(ख) क्या यह सही है कि विगत वित्तीय वर्ष में भवानंदपुर के शिवनगर, टिटहियाँ टोला और भवानंदपुर गांव के समीप लगभग 32 करोड़ रूपये की लागत से कटाव निरोधक कार्य कराये गये लेकिन बाढ़ के दौरान करीब 500 मीटर का कार्य नदी में बह गया है;	बाढ़ 2024 एवं 2025 पूर्व शिवनगर, टिटहिया टोला एवं भवानंदपुर में कुल 1600 मीटर की लम्बाई में कटाव निरोधक कार्य कराया गया, जिसमें से 250 मीटर की लम्बाई में शिवनगर में कराया गया कार्य आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ। इस भाग में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है।
(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में भी गंगा कटाव से लालदियारा, कस्बा, हुसैना, सोनवर्षा, मिर्जापुर, हसनपुर, किसनपुर, कमालपुर, सोनदीपी, परमानंदपुर, पहाड़पुर, नौरंगा, अशर्फा, सहबेकपुर, शैयदपुर, गोखले नगर और भवानंदपुर जैसे गांवों के परिवार बिखर गये हैं, जो दियारा छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में बस गये हैं;	प्रश्नगत गांव तटबंध से लगभग 7-8 कि0मी0 नदी भाग के दियारा क्षेत्र में अवस्थित है। प्रश्नगत गांव के परिवारों के विस्थापन के संबंध में कोई सूचना नहीं है।
(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड-'क' , 'ख' , 'ग' पर अंकित स्थिति में बाढ़ और कटाव के खतरे से निपटने के लिए दियारा क्षेत्र को दीर्घकालिक योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और नेपाल सरकार द्वारा तीनों मिलकर किस परिस्थिति में अबतक नहीं बनाई है तथा उसे कबतक बनाना चाहती है?	बिहार राज्य अंतर्गत गंगा नदी के बाढ़ एवं कटाव के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से विस्तृत अध्ययन हेतु राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के साथ एम0 ओ0 यू0 किया गया है । इस अध्ययन के उपरांत प्रश्नगत क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में गंगा नदी से होने वाले कटाव को नियंत्रित करने हेतु आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर कार्य कराया जायेगा ।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(सम0)–06–29/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 213वें सत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–01/213/574 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(सम0)–06–29/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(सम0)–06–29/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(सम0)–06–29/2026– 4019 पटना, दिनांक– 09/09/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र सं0-86), माननीय स0वि0स0 द्वारा अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में दिनांक-24.07.2026 को पुछा जाने वाला गैर सरकारी संकल्प संख्या-97/2026 के संबंध में।

गैर सरकारी संकल्प

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह दरभंगा जिलान्तर्गत बथोरा के क्यामचक, भोजपट्टी होते हुए दरभंगा हवाई अड्डा तक मरने कमला नदी की उड़ाही (गाद सफाई) तथा जगह-जगह पर तटबंध/सुरक्षा (Protection) दिवाल का निर्माण करावें"।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र में मरने कमला नदी में आंशिक रूप से गाद है। वर्तमान में एम्स, दरभंगा के चयनित भू-खण्ड में आस-पास की नदियों से उड़ाही कर मिट्टी भराई का कार्य प्रगति में है, जिसमें मरने कमला नदी से आवश्यकतानुसार मिट्टी की उड़ाही प्रावधानित है। इस कार्य के उपरान्त नदी में जल का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो सकेगा एवं जल के फैलाव से मुक्ति मिल सकेगी।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0स0संकल्प(सम0)–09–34/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–1654 दिनांक–18.07.2026 के प्रसंग में गैर सरकारी संकल्प सं0–97/2026 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0संकल्प(सम0)–09–34 / 2026–
पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0संकल्प(सम0)–09–34 / 2026–
पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– **अवर सचिव**, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0संकल्प(सम0)–09–34 / 2026– 4018
पटना, दिनांक–09/09/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

श्री शुभानंद मुकेश, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन सं०-136/26 का उत्तर प्रतिवेदन

निवेदन	उत्तर प्रतिवेदन
भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव नगर क्षेत्र में NH-80 पर स्थित TVS शोरूम के सामने से रेलवे अंडरपास होते हुए कहलगाँव प्रखंड कार्यालय परिसर के पास स्थित जज कॉलोनी तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जल संसाधन विभाग का सेवा पथ है। यह पथ स्थानीय लोगों, प्रखंड कार्यालय आने-जाने वाले नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश यह सेवा पथ अत्यधिक जर्जर अवस्था में है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की आशांका बनी रहती है। अतः उक्त पथ का पुनर्निर्माण करने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि - • प्रश्नगत मामला बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना अन्तर्गत निर्मित नहर के सेवापथ पर 1.8 कि०मी० में पक्की सड़क के निर्माण से संबंधित है। • वर्तमान में प्रश्नगत सेवापथ के प्रारंभिक 0.443 कि.मी. में कच्ची सड़क एवं 0.396 कि०मी० में जी०एस०बी० सड़क निर्मित है। इसके आगे 0.961 कि०मी० लम्बाई में पी०सी०सी० सड़क निर्मित है। • उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत सेवापथ के 0.45 कि०मी० पर एन०टी०पी०सी०, कहलगाँव की ओर एवं 0.549 कि०मी० पर साहेबगंज-पटना रेलवे लाईन गुजरती है। उक्त स्थलों पर लेवल क्रॉसिंग के निर्माण हेतु मुख्य महाप्रबंधक, एन०टी०पी०सी०, कहलगाँव एवं मंडल रेल प्रबंधक, डी०आर०एम०, मालदा डिवीजन, पूर्व रेलवे से अनुरोध किया गया है। • सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्णित स्थलों पर लेवल क्रॉसिंग के निर्माण के उपरान्त सड़क निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(क0)–03–01 / 2026–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–542 दिनांक–10.04.2026 के प्रसंग में निवेदन सं0–136 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पटना, दिनांक–

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(क0)–03–01 / 2026–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पटना, दिनांक–

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(क0)–03–01 / 2026–
प्रतिलिपि– **अवर सचिव**, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पटना, दिनांक–

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0नि0(क0)–03–01 / 2026– 4017
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। पटना, दिनांक– 09/09/2026

8.9.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
08.9.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

श्री कलाधर प्रसाद मंडल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-18/3/649 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत रूपौली विधानसभा के कोशकीपुर, पुरानी नंदगोला, डुमरी, टोपरा, अंझड़ी, झवारी, खरकट्टा एवं गेधवा ग्रामों में बाढ़ से कटाव होती है, जिससे जान माल के साथ-साथ नदी के सटे घर नदी में विलीन हो जाते हैं, यदि हाँ तो, सरकार उक्त गांव में कटाव रोधक कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत रुपौली विधानसभा क्षेत्र के प्रश्नगत टोपरा एवं अंझड़ी ग्राम कोसी नदी के बायें तट पर अवस्थित है एवं प्रश्नगत अन्य कोशकीपुर, पुरानी नंदगोला, डुमरी, झवारी, खरकट्टा एवं गेधवा ग्राम कोसी नदी की एक उपधारा जिसे स्थानीय लोगों द्वारा कारी कोसी के नाम से जाना जाता है, के तट पर अवस्थित है। बाढ़ अवधि के दौरान कोसी नदी के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में नदी का पानी अल्प अवधि के लिए एन०एस०एल० पर फैलता है, जलस्तर में कमी होने पर पानी स्वतः नदी में वापस चला जाता है। प्रश्नगत स्थलो के समीप नदी तट से बसावट की औसतन दूरी 25 मीटर से 30 मीटर है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थलों के समीप कटाव नहीं हो रहा है एवं स्थल सुरक्षित है। आसन्न बाढ़ अवधि के दौरान प्रश्नगत स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। कटाव होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल सुरक्षित रखा जायेगा। प्रश्नगत स्थलों के समीप नदी से कटाव के कारण घर नदी में विलीन होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–182 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 3 / 649 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–182 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–182 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– **अवर सचिव**, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(क0)–05–182 / 2026– 4016 पटना, दिनांक– 09/09/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 8.9.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
08.9.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/256/2026- 772 पटना, दिनांक- 08/9/26

प्रेषक,

आलोक कुमार
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग,
जल संसाधन, जल शक्ति मंत्रालय,
भारत सरकार।

विषय :- निरंजना/फल्गु नदी के पुनरूद्धार हेतु राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक–DO No. : TE-16015/4/2023-O/o ED(TECH) NMCG दिनांक–22.05.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि निरंजना/फल्गु नदी के पुनरूद्धार हेतु राज्य स्तर पर निम्नांकित पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है:-

क्र0	पदनाम	मोबाईल नं0
1	अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3, पटना।	9471499867 / 7463889109

विश्वासभाजन

08/09/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव, अभियंत्रण

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/256/2026- 772 पटना, दिनांक- 08/9/26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

08/09/26
संयुक्त सचिव, अभियंत्रण।

Desktop/draft_Letter_Cricular 2_366

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/256/2026– 772 पटना, दिनांक– 08/9/26

प्रतिलिपि :– उप सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक–04/पर्या0/वन–27/2026–3283/प0व0ज0प0 दिनांक–12.06.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

08/09/26

संयुक्त सचिव, अभियंत्रण।

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/256/2026– 772 पटना, दिनांक– 08/9/26

प्रतिलिपि :– उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को गै0स0प्रे0सं0 –01/स्था0–26–22/2024–1071 दिनांक–18.06.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

08/09/26

संयुक्त सचिव, अभियंत्रण।

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/256/2026– 772 पटना, दिनांक– 08/9/26

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को संबंधित को ई–मेल करने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/09/26

संयुक्त सचिब, अभियंत्रण।